प्रेस नोट
दिनांक 29.06.2024, थाना खरगूपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने के उपकरण व 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों- 01. मयंक तिवारी पुत्र रामवकील तिवारी, 02. अटल तिवारी पुत्र जिलेदार तिवारी, 03. भरत बाजपेयी पुत्र गोली बाजपेयी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 28/29.06.2024 की रात्रि को थाना खरगूपुर के उ0नि0 मृत्युजंय सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि पिपरा बाजार स्थित ओ0पी0 मिश्रा के स्कूल के पीछे से चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्तो-01. मयंक तिवारी पुत्र रामवकील तिवारी, 02. अटल तिवारी पुत्र जिलेदार तिवारी, 03. भरत बाजपेयी पुत्र गोली बाजपेयी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे चोरी करने के उपकरण व जामातलाशी के दौरान अभियुक्त भरत बाजपेयी के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01.मयंक तिवारी पुत्र रामवकील तिवारी नि0 कंचनपुर मौजा फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. अटल तिवारी पुत्र जिलेदार तिवारी नि0 कंचनपुर मौजा फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. भरत बाजपेयी पुत्र गोली बाजपेयी नि0 कंचनपुर मौजा फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-178/24, धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

02 अदद पेचकश, लोहा काटने की आरी, 01 अदद पिलास, 01 अदद छेनी, 01 अदद हथौडी, 01 अदद टार्च।

<u>अभियुक्त भरत बाजपेयी पुत्र गोली बाजपेयी का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0-169/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-171/2022 धारा 401 भा0द0वि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0- 173/2022 धारा 413/467/468 आईपीसी व 41 सीआरपीसी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-83/2023 धारा 394/411 आईपीसी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
06. मु0अ0सं0-48/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-341/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खरगूपुर गोण्डा।

<u>अभियुक्त मयंकर तिवारी पुत्र रामवकील तिवारी का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0-176/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-83/2023 धारा 394/411 आईपीसी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त अटल बिहारी पुत्र जिलेदार तिवारी का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0- 83/2023 धारा 394/411 आईपीसी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 मृत्युजंय सिंह।
02. उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा।
03. का0 रविशंकर खरवार।
04. का0 अंकित कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 29.06.2024</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में 03 नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) की कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षणः–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में केन्द्र सरकार द्वारा नव निर्मित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण दिनांक 26.06.2024 से 30.06.2024 तक प्रतिदिन पुलिस लाइन सभागार में कराया जा रहा है। आज दिनांक 29.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री रामबली यादव तथा प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री नित्या गोस्वामी द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उपस्थित पुलिस कर्मियों को 03 नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अब 01 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोजीजर कोड की जगह भारतीय की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगायी जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

महोदय द्वारा बताया गया कि यह नए कानून दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर एक कदम है। नए कानूनों में अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। अब थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु 01 जुलाई 2024 को समस्त थानों में थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 29.06.2024, मानिटरिंग सेल</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 06 माह का सश्रम कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 06 माह का कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 28.12.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त शिवमोहन पाण्डेय पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी पंतनगर थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट श्री सुर्य प्रकाश सिंह महोदय द्वारा 06 माह कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. शिवमोहन पाण्डेय पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी पंतनगर थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-1080/2023, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>